UPSI120000482001

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,बिसवाँ–सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी–(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP3421
फौजदारी वाद संख्या–342/2001

अपराध संख्या–39/2001
धारा– 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना रेउसा, जनपद–सीतापुर।

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन।**

बनाम

राजेन्द्र वर्मा उर्फ मोटू, पुत्र नन्हकऊ पासी, निवासी ग्राम मोहाला, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर। .....**अभियुक्त।**

निर्णय

थाना रेउसा, जनपद सीतापुर पर पंजीकृत अपराध संख्या–39/2001 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० के प्रकरण में अभियुक्त राजेन्द्र वर्मा उर्फ मोटू के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह वाद संस्थित हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **राजेन्द्र वर्मा उर्फ मोटू** की ओर से इस आशय का संस्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी जोर दबाव के जुर्म को स्वीकार कर रहा है। अतः उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा की जाये।

पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त बराबर न्यायालय में उपस्थित आ रहा है एवं अभियुक्त धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० में अभियुक्त है जो की जमानतीय अपराध है। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष खुले न्यायालय में बयान दिया है और जुर्म का इकबाल किया है। ऐसे छोटे व जमानतीय अपराधों को स्वैच्छिक इकबालिया बयान अदालत को बिना किसी लम्बी सुनवाई के सीधे आरोपी को दोषी ठहराने का आधार बनता है। अपराधियों का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है एवं प्रथम बार अपराध कारित किया गया है जिस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

प्रकरण में आरोपित अभियुक्त राजेन्द्र वर्मा उर्फ मोटू को स्वेच्छया संस्वीकृति के आधार पर धारा 252 दं०प्र०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनाँक 10.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

लंच बादः–

लंच बाद पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वचेछा से प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त **राजेन्द्र वर्मा उर्फ मोटू** को अपराध संख्या–39/2001 अन्तर्गत

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.07.10 16:25:00 IST
Reason: Document Order
Location: In the court of civil judge junior division Biswan

धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना रेउसा, सीतापुर के प्रकरण में दोषसिद्ध पाया जाता है, एवं अभियुक्त को धारा 323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 200/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। अभियुक्त को धारा 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 200/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। अभियुक्त को धारा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 400/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनाँक 10.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

आज दिनाँक 10.07.2026 को उपरोक्त निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक 10.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–